22/8/15

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० तहसील
से मौका जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील वादी
की बहस सुनी गयी। मौका जांच रिपोर्ट का
अवलोकन किया गया। वकील वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है। निर्णय प्रारूप से तैयार
कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
फैसल शुमार होकर तरतीब से रख हो।

[signature]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम(अराई) अजमेर

व इजलास श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

वाद क्रमांक 24/2025

1. श्योजी पुत्र छीतर आयु बालिग जाति जाट
2. रामदेव पुत्र छीतर आयु बालिग जाति जाट
3. शंकर पुत्र छीतर आयु बालिग जाति जाट
4. काना पुत्र हगामा आयु बालिग जाति जाट
5. गंगा पुत्री हगामा आयु बालिग जाति जाट
6. दाखा पत्नी हगामा आयु बालिग जाति जाट

सर्वनिवासीगण ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजेन्द्र चौधरी पुत्र नाथू जाति जाट
2. सन्तोष पत्नी नाथू जाति जाट
3. नाराज पुत्री नाथू जाति जाट
4. बर्हमा देवी पुत्री नाथू जाति जाट
5. मन्दराज पुत्री नाथू जाति जाट

सर्वनिवासीगण गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर (राज०)

6. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अंराई जिला अजमेर (राज०)

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 22/8/25

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री विजेन्द्रसिंह

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री विजेन्द्रसिंह के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जरिये अभिभाषक निवेदन किया किया कि प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 के स्वत्व अधिकार, कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम गोठियाना तहसील अराई के पुराना खाता संख्या 465, नया खाता संख्या 450 खसरा संख्या 7 रकबा 7.8069 हैक्टेयर, पुराना खाता संख्या 256, नये खाता संख्या 214 खसरा संख्या 6 रकबा 6. 5205 हैक्टेयर भूमि सोला ने सिराली महाराज से क्रय की थी, क्रय करने पश्चात उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज चला आ रहा है सोला के स्वर्गवास के पश्चात उसके वारिसो के नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज हो गया। सोला के उपरोक्त वर्णित वारिसान है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि ग्राम गोठियाना के सार्वजनिक रास्ता खसरा संख्या 11 से होता हुआ खसरा संख्या 10 की मेड़ (पूर्व दिशा) से खसरा 3 में जाने के लिए ग्राम गोठियाना से सार्वजनिक रास्ता खसरा संख्या 11 से होता हुआ, खसरा संख्या 6 मे अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में प्रवेश करता हुआ खसरा संख्या 10 की दक्षिण दिशा की मेड के पास से होता हुआ आगे खसरा नम्बर 10 की पूर्व की मेड़ के लगती हुई खसरा संख्या 6 की भूमि से होते हुये प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मे प्रवेश करते हैं वर्षो से करते चले आ रहे है। उक्त निकटतम रास्ता है उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के वंशज है। 4. यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज पड़दादा उक्त भूमि को क्रय की गई थी क्रय के पश्चात कब्जे काश्त मे चली आ रही है इसके पश्चात प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज हो गया प्रार्थीगण अपनी भूमि में प्रवेश के लिए ग्राम गोठियाना के खसरा संख्या 11 रास्ता राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज है उसे होता हुआ खसरा संख्या 6 मे जो अप्रार्थीगण

WZ

की खातेदारी से होता हुआ खसरा संख्या 10 की मेड (सीमा) से पूर्व तरफ होता हुआ व खसरा संख्या 10 की पूर्व में खसरा संख्या 6 की पश्चिम दिशा की सीमा से होता अपनी कृषि भूमि पर पूर्वजो के समय से प्रवेश करता चला आ रहा है। उक्त सुलभ व निकटतम रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के पास नही है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के कृषि कार्य के प्रयोजन एवं कृषि भूमि के विकास के लिये एवं कृषि भूमि पर जाने के लिये किसी प्रकार का कोई मार्ग रास्ता नही है। उक्त नजरी नक्शा पेश है जो लाल स्याही से दर्शाया गया है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में कृषि कार्य एवं कृषि भूमि के विकास के लिये अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 भूमि से अथवा लगती हुयी सींव/मेड से भूमि का उपयोग करता है।प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि के जोत के प्रयोजन के लिये सबसे करीब रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की कृषि भूमि के खसरा संख्या 6 की भूमि से होकर जाता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 से 5 की भूमि से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है जिसे संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है।अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की भूमि से रास्ता बनाया जाता है तो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 को कोई क्षति नही होगी और प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य के लिये सुगम रास्ता उपलब्ध हो जायेगा।प्रार्थीगण की कृषि भूमि में से किसी प्रकार का रिकार्डेड रास्ता नही होने से तथा अप्रार्थीगण 1 से 5 की संलग्न कृषि भूमि से इस भूमि में से प्रार्थीगण की कृषि भूमि मे आने जाने हेतु 18 फुट का रास्ता दिया जाता है तो इससे किसी भी पक्षकार को क्षति नही होगी और प्रार्थीगण का कृषि कार्य का उद्देश्य भी पूर्ण हो जायेगा।प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मे उपयोग उपभोग हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की भूमि में से 18 फुट के रास्ते की आवश्यकता है इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर से राशि जमा कराने को तत्पर एवं तैयार है। प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि में स्थित जोत के उपयोग उपभोग कृषि कार्य एवं कृषि भूमि के विकास के लिये अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से अधिकतम सीमा तक निवेदन किया है ।

2. अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को दिनांक 19.5.2025 को विधिवत नोटिस तामिल हुये। दिनांक 22.8.2025 को तहसीलदार अराई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार अराई ने अंकित किया कि ग्राम गोठियाना तहसील अराई के पुराना खाता संख्या 465, नया खाता संख्या 450 खसरा संख्या 7 रकबा 7.8069 हैक्टेयर, पुराना खाता संख्या 256, नये खाता संख्या 214 खसरा संख्या 6 रकबा 6.5205 हैक्टेयर भूमि में आवागमन के लिये खसरा संख्या 06 के अतिरिक्त कोई अतिरक्त निकटतम व वैकल्पिक मार्ग नही है । खसरा नं0 06 कुल रकबा 6.5205 मेंसे 0.0509 हैक्टेयर डीएलसी दर से राशि 26977/- भूमि अधिग्रहित की जायेगी जिसकी निर्वापित राशि वर्तमान प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्य 26977/- जिसकी दुगुना राशि 53954/- अक्षरे तरेपन हजार नो सो चोपन रूपये होगी । वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली अप्रार्थी की भूमि के रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने में सहमत, तैयार, तत्पर है । हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है अतः तहसीलदार अराई की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार अग्रलिखित आदेश दिये जातें है:-

-: आदेश :-

3. प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम गोठियाना तहसील अराई के पुराना खाता संख्या 465, नया खाता संख्या 450 खसरा संख्या 7 रकबा 7.8069 हैक्टेयर, पुराना खाता संख्या 256, नये खाता संख्या 214 खसरा संख्या 6 रकबा 6.5205 हैक्टेयर भूमि में आवागमन के लिये में आवागमन हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी मानचित्र अनुसार एवं पेरोकार सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि कृषि ग्राम गोठियाना तहसील अराई के पुराना खाता संख्या 465, नया खाता संख्या 450 खसरा संख्या 7 रकबा 7.8069 हैक्टेयर, पुराना खाता संख्या 256, नये खाता संख्या 214 खसरा संख्या 6 रकबा 6.5205 हैक्टेयर भूमि में आवागमन ख0नं0 06 से होना स्पष्ट होता है एवं उक्त रास्ता निकटतम रास्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी की रास्ते हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की एवज में रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने हेतु सहमति जाहिर की है। तहसीलदार अराई कीजांच रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/2025/4868 दिनांक 13.8.2025 के अनुसार भूमि अधिग्रहित की जाकर वाद अधीन भूमि की प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्य 26977 जिसकी दुगुना

Wg

राशि 53954/– अक्षरे तरेपन हजार नो सो चोपन रूपये होगी जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार अराई को आदेश दिये जातें है कि ग्राम गोठियाना तहसील अराई के पुराना खाता संख्या 465, नया खाता संख्या 450 खसरा संख्या 7 रकबा 7.8069 हैक्टेयर, पुराना खाता संख्या 256, नये खाता संख्या 214 खसरा संख्या 6 रकबा 6.5205 हैक्टेयर भूमि में आवागमन के लिये में से रास्ते हेतु भूमि अधिग्रहित की जाकर वाद अधीन भूमि की वर्तमान प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्य 26977/– जिसकी दुगुना राशि 53954/– अक्षरे तरेपन हजार नो सो चोपन रूपये होगी जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी । प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0509 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा 53954/– अक्षरे तरेपन हजार नो सो चोपन रूपये तहसीलदार अराई के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार अराई को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात उनकी रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0509 हैक्टेयर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करे तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थी को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करे ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22/8/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)